नम्बर व ता...
अहकाम ...
हुक्म की ता...
में जारी...

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

अपील सं. 10/2017

अनवानः–

1 सतपाल सिंह पुत्र करम सिंह जाति अराई सा. मानकसर ।

2 महेन्द्र सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति अराई सा. मानकसर तह0 संगरिया।

अपीलान्टस

बनाम

1 कृष्ण सिंह पुत्र धर्मचंद जाति अराई सा. मानकसर।
2 राजस्थान सरकार।
3 रामपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति अराई सा.मानकसर तह0 संगरिया।
4 वरयाम सिंह पुत्र तिलोक सिंह जाति अराई सा. मानकसर तह0 संगरिया।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.11.09 बअदालत तहसीलदार संगरिया ।

उपस्थितः– 1 श्री देवी लाल भाम्भू अभिभाषक अपीलांटस
2 श्री अशोक छोडा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3 श्री सुभाष गहलोत अभिभाषक रेस्पे0 सं0 3.4

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः – 08.05.2018

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार संगरिया ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.09 के जरिये अपीलांट की खातेदारी आराजी मु0नं0 57 कि0नं0 19–22 चक 19 एमकेएस में से रास्ता खुलवाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश पूर्णतया रूहेदाद मिसल है तथा कानून व तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है जो निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है :–

1 यह कि उपरोक्त रास्ते को मु0नं0 57 कि0नं0 19–22 में से खौलने का निर्णय दिया गया है जबकि किला नं0 19 व 22 अपीलांट के खातेदारी भूमि है । मातहत अदालत तथा ग्राम पंचायत द्वारा न तो अपीलांट को कभी सूचना दी और ना ही कोई जांच की और न ही कोई साक्ष्य का अवसर दिया । उपरोक्त आराजी सांझे खाते की है न ही सहखातेदारान से सबूत पेश करने का अवसर दिया ।

2 यह कि मातहत अदालत द्वारा ग्राम पंचायत मानकसर द्वारा की गयी कार्यवाही दिनांक 22.8.2009 के आधार पर उपरोक्त निर्णय दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही गांव की पार्टीबाजी के कारण की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो प्रश्नगत भूमि के खातेदारान तथा सहखातेदारान को कभी सूचना दी और न ही कानूनन प्रावधानों के तहत जांच की। ग्राम पंचायत ...

रेस्पोडेंट व उसके पक्ष को ही बुलाया गया। ग्रम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही मौका की जांच की गयी।

3 यह कि पटवारी हल्का मानकसर द्वारा दिनांक 18.6.09 को स्पष्ट रिपोर्ट की गयी है कि मु0नं0 57 कि0नं0 19–22 में फसल नरमा काश्त है तथा दोनों बीघों में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं है और न ही रास्ते के कोई निशानात मालूम होते हैं। मातहत अदालत द्वारा पटवारी रिपोर्ट गौर न करके तथा अनदेखी करके पूर्णतया तथ्यात्मक भूल की है।

4 यह कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.6.09 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि मु0नं0 57 के नीचे दक्षिण में मु0नं0 68 का किला नं0 1 ता 5 में रास्ता दर्ज है तथा मु0नं0 68 में कि0नं0 1 ता 5 में चालू है।

5 यह कि प्रश्नगत भूमि के सबंधी बनी जमाबंदीयात में कभी भी रास्ता होना दर्ज नहीं है। रेस्पो0 नया रास्ता धारा 251 आरटीए के तहत कतई प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

6 यह कि प्रश्नगत दोनो बीघों में से कभी भी रास्ता नहीं रहा है अब मौके पर फसल काश्त है। दोनों बीघों में अपीलांट व सह खातेदारान की भूमि है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मातहत अदालत द्वारा कनूनी व तथ्यात्मक भूल की है इसलिए उपरोक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गयी। दौराने अपील रेस्पो0 3 व 4 द्वारा पक्षकार बनाने का प्रा0पत्र पेश होने पर उन्हें प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

रेस्पो0 सं0 3 व 4 द्वारा अलग अलग क्रास आब्जेक्शन पेश कर निवेदन किया गया कि मिन प्रार्थी आराजी मु0नं0 57 कि0नं0 19. 22 के सहकाश्तकार है तथा जब तक सहकाश्तकारान का आपस में खाता तकसीम नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इन्च पर अधिकार होता है इस प्रकार से मिन प्रार्थीयान का उपरोक्त आराजी में हर प्रकार से हक बनता है। मातहत अदालत तथा ग्राम पंचायत द्वारा न तो मिकरान को कभी सूचना दी और न ही मिकरान के सामने कोई जांच की और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। मातहत अदालत द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही के आधार पर ही दी गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही गांव की पार्टीबाजी के कारण की गयी है ना ही कभी मौका निरीक्षण नहीं किया गया न ही मौका जांच की गयी। उक्त दोनों बीघों में कभी रास्ता नहीं रहा है दोनों बीघों में फसल काश्त होती है। रेस्पो0 कृश्ण सिंह द्वारा धारा 251 आरटीए के तहत कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए निर्णय तहसीलदार संगरिया दिनांक 17.11.09 व ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 22.8.09 निरस्त फरमाया जावे।

अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाशक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय ग्राम पंचायत व तहसीलदार द्वारा अपीलांट को कोई साक्ष्य/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जिसके अभाव में अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो0 3–4 द्वारा अपने क्रास आब्जेक्शन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि ग्राम पंचायत व तहसीलदार संगरिया द्वारा उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना ही मौका की कोई जांच की गयी इसलिए

अभिभाषक रेस्पो. सं0 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत रास्ता कदीमी रास्ता है जो काफी वर्शो से चल रहा है जिसको रेस्पो0 सं0 1 ने बन्द कर दिया था जिसको खोले जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह विधि अनुसार अनुकूल है। इसलिए अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांटस व रेस्पो0 3 व 4 का मुख्य तर्क है कि इस रास्ता के संबंध में उनको ग्राम पंचायत मानकसर व तत्पश्चात् तहसीलदार संगरिया द्वारा साक्ष्य/सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही मौका निरीक्षण के समय उनको बुलाया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक प्रभावित पक्षकार को निर्णय पारित करने से पूर्व उसको साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत व तहसीलदार संगरिया द्वारा अपीलांटस व रेस्पो0 3 व 4 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मानकसर की रिपोर्ट दिनांक 22.08.09 एवं तहसीलदार संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.09 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार संगरिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेशित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे उभय पक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)